मूल वाद में अन्तिम डिक्री

बमुकदमे में इजराई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्य.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :- जय कौशिक (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 493/2022

वाद पत्र अं. धारा 53 आर.टी.ए.

1 बलवीर सिंह पि. अमरसिंह जाति रामगढ़िया निवासी नवां तहसील व जिला हनुमानगढ़

2 लखवीर सिंह पि. अमरसिंह जाति रामगढ़िया निवासी नवां तहसील व जिला हनुमानगढ़

वादीगण

बनाम

1. कमला देवी पत्नी श्यामसुन्दर जाति जाट निवासी नगराना
2. जितेन्द्र प्रसाद पुत्र श्यामसुन्दर जाति जाट निवासी नगराना
3. पूनम पुत्री श्यामसुन्दर जाति जाट निवासी नगराना
4. रेखा पुत्री श्यामसुन्दर जाति जाट निवासी नगराना
5. सुमित्रा देवी पत्नी साहबराम जाति जाट निवासी नगराना
6. सुरेन्द्र पुत्र साहबराम जाति जाट निवासी नगराना
7. सुरेश पुत्र साहबराम जाति जाट निवासी नगराना
8. ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स शाखा नगराना
9. तहसीलदार राजस्व संगरिया

प्रतिवादीगण

दिनांक :- 24.3.2025

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री नवरत्न स्वामी वकील वादीगण मिन जानिब मुदई श्री.............. वकील प्रतिवादी संख्या .... मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है एव तहसीलदार भू.अ.संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुताबिक अन्तिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती हैः-

नाम काशतकार मय वल्दियत एवं सकूनात	चक का नाम खातों का विवरण	राजस्व रिकार्ड अनुसार रकबा	वर्तमान में कब्जा काश्त अनुसार काश्तकार का नाम	कब्जा काश्त अनुसार रकबा
1 बलवीर सिंह 2 लखवीर सिंह पि. अमर सिंह जाति रामगढ़िया निवासी नवां	प.मं. मानकसर चक 16 एमकेएस के खाता सं. 28/30 खाते का योग 3.920 हैक.	0.215 हेक.	1 बलवीर सिंह 2 लखवीर सिंह पि. अमर सिंह बहिब 0.215 हि. जाति रामगढ़िया निवासी नवां	प.नं. 167/224 मु.नं. 9 कि.नं. 3/1/0.126 4/1/0.051, 7/1/0.038 कुल 0.215 हेक.

अतः उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नही है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार भू.अ. संगरिया के पत्र क्रमांक प्रा.डिक्री/भू.अ./2024/4775 दिनांक 20.12.2024 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिग्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

नोट :- यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज.......X.......मुब्लिक.......X.......बाबत.......100/- खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.......X.......को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 24.3.2025 को खुले न्यायालय में जारी किया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
संगरिया

Scanned with OKEN Scanner